भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2518

13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा उपचार के लिए केंद्र प्रायोजित वित्तीय सहायता योजनाएं

†2518. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) वर्तमान में देश में संचालित केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं/कार्यक्रमों और चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इनसे लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) इसी अवधि के दौरान देश में इन योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए आवंटित धनराशि का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण क्या है; और

(घ) स्वास्थ्य में सुधार, विशेष रूप से देश के गरीब लोगों के स्वास्थ्य स्तर को ऊपर उठाने में इन योजनाओं की दक्षता के संबंध में सरकार का आकलन क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतावराव जाधव)

(क) से (घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवा प्रदायगी को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, और उपलब्ध समग्र संसाधन (आरई) के आधार पर, भारत सरकार नीचे दिए गए लिंक के अनुसार कार्यवाही विवरण (आरओपी) में अनुमोदन प्रदान करती है:

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एएएम पोर्टल में अद्यतन किए गए अनुसार, 31.12.2025 तक कुल 1,82,944 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित और संचालनरत किए जा चुके हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम), पूर्ववर्ती आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी), ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मौजूदा उप-स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) को उन्नत करके 12 पैकेज की बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। इन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरएमएनसीएचए+एन) सेवाएं, संचारी रोग, गैर-संचारी रोग (एनसीडी) (जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मुख, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के 3 सामान्य कैंसर के लिए स्क्रीनिंग और प्रबंधन) और क्रमिक रूप से मानसिक स्वास्थ्य, ईएनटी, नेत्र विज्ञान, मुख स्वास्थ्य, वृद्धावस्था और उपशामक स्वास्थ्य परिचर्या और ट्रॉमा परिचर्या आदि के लिए अन्य सेवाएं शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में एनएचएम के तहत केंद्र द्वारा निर्गत राशि और व्यय का विवरण **अनुलग्नक-I** में है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो भारत की जनसंख्या के निचले 40% हिस्से के 12 करोड़ परिवारों को मध्यम और विशिष्ट अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है।

मार्च 2024 में, आशाकर्मियों, आंगनवाड़ी कर्मियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू), और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) के लगभग 37 लाख परिवारों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

अक्टूबर 2024 में, इस योजना का और विस्तार करते हुए लगभग 4.5 करोड़ परिवारों से संबंधित 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, इसमें शामिल किया गया।

एबी पीएम-जेएवाई के तहत, स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी 2022) का नवीनतम राष्ट्रीय मास्टर, 27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं में 1,961 प्रक्रियाओं के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है।

31 जनवरी 2026 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में योजना के तहत कुल 11.46 करोड़ अस्पताल भर्ती, जिनका मूल्य ₹1.69 लाख करोड़ है, अधिकृत किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अस्पताल भर्ती का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-II** के रूप में संलग्न है।

एबी पीएम-जेएवाई का वित्तपोषण पूरी तरह से मांग-संचालित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) पिछली किश्तों के उपयोग प्रमाणपत्रों और राज्यों से प्राप्त मांग के आधार पर योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करता है। वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए केंद्रीय हिस्से की निधि का विवरण **अनुलग्नक-III** के रूप में संलग्न है।

अनुलग्नक-I

वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्र द्वारा निर्गत राशि एवं व्यय

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23		2023-24		2024-25	
		केंद्रीय निर्गत	व्यय	केंद्रीय निर्गत	व्यय	केंद्रीय निर्गत	व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	45.26	42.28	37.84	40.71	49.99	44.41
2	आंध्र प्रदेश	1,489.45	1,914.34	1,096.01	2,833.44	1,319.61	2,439.82
3	अरुणाचल प्रदेश	233.82	424.78	404.55	399.44	388.86	472.93
4	असम	1,981.83	2,307.00	2,257.06	2,626.87	2,076.25	2,607.54
5	बिहार	1,586.57	3,717.81	2,032.95	4,010.97	2,367.18	4,466.31
6	चंडीगढ़	38.09	26.98	30.58	31.85	43.43	37.29
7	छत्तीसगढ़	1,195.08	2,152.45	875.80	1,743.79	969.11	1,784.09
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	58.28	41.61	39.92	41.96	40.96	40.47
9	दिल्ली	35.15	298.11	150.54	338.41	240.39	365.44
10	गोवा	55.42	84.64	48.97	84.53	55.06	95.17
11	गुजरात	1,120.06	2,292.35	1,506.96	4,040.00	1,324.86	3,198.15
12	हरियाणा	681.21	1,185.43	524.01	1,221.41	562.49	1,127.06
13	हिमाचल प्रदेश	494.65	567.83	470.36	629.76	523.70	654.52
14	जम्मू और कश्मीर	651.52	917.02	805.22	956.95	1,040.76	1,110.30
15	झारखंड	810.30	1,495.17	958.06	1,992.91	964.31	1,986.59
16	कर्नाटक	1,246.67	2,376.94	1,187.60	2,741.98	1,295.81	2,478.23
17	केरल	1,036.76	1,592.96	189.15	1,246.25	1,351.78	1,422.88
18	लद्दाख	94.95	109.67	120.44	119.67	135.98	150.50
19	लक्षद्वीप	9.97	9.29	3.79	7.10	9.68	10.00
20	मध्य प्रदेश	2,582.10	4,489.15	2,545.68	5,202.61	2,430.91	5,225.77
21	महाराष्ट्र	2,187.13	4,501.75	2,729.30	5,001.70	2,417.95	4,364.86
22	मणिपुर	61.40	214.69	169.12	159.32	279.16	295.79
23	मेघालय	261.56	319.08	261.39	305.83	297.95	393.01

24	मिजोरम	111.82	135.33	134.42	179.84	159.96	174.67
25	नागालैंड	91.38	161.93	184.84	196.69	204.47	243.60
26	ओडिशा	1,284.69	3,402.50	1,901.77	3,356.68	1,916.79	3,585.01
27	पुदुच्चेरी	20.73	48.51	30.80	45.74	26.27	49.27
28	पंजाब	448.89	1,054.39	91.49	1,428.94	878.21	1,027.72
29	राजस्थान	1,460.80	3,726.21	2,785.46	4,350.63	2,398.62	4,772.33
30	सिक्किम	73.30	88.69	68.17	75.77	81.67	89.59
31	तमिलनाडु	1,652.24	3,191.84	1,996.06	3,104.16	1,742.67	3,461.74
32	तेलंगाना	683.77	2,062.93	564.93	1,288.75	1,110.43	1,872.42
33	त्रिपुरा	231.90	287.20	264.31	309.62	268.67	279.35
34	उत्तर प्रदेश	5,133.59	8,828.29	4,928.14	10,572.60	5,853.43	10,377.16
35	उत्तराखंड	505.01	647.13	711.33	709.79	604.05	760.15
36	पश्चिम बंगाल	1,252.32	3,509.86	890.42	3,641.98	688.44	3,583.07

टिप्पणी:

1. व्यय में केंद्र द्वारा निर्गत, राज्य द्वारा निर्गत और वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि के सापेक्ष किया गया व्यय शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर (एफएमआर) के अनुसार है और यह अनंतिम है।

2. उपरोक्त निर्गत राशि केंद्रीय सरकारी अनुदान से संबंधित हैं और इनमें राज्य का योगदान शामिल नहीं है।

अनुलग्नक-II

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमजेएवाई के अंतर्गत अधिकृत अस्पताल में भर्ती की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(संख्या लाखों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष -2023-24	वित्त वर्ष -2024-25	वित्त वर्ष 2025-26 (31.01.2026 तक)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.007	0.006	0.009	0.008
आंध्र प्रदेश	15.01	18.42	20.52	18.11
अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.05	0.06
असम	2.40	4.93	5.11	4.49
बिहार	2.13	3.50	9.46	10.75
चंडीगढ़	0.10	0.17	0.24	0.24
छत्तीसगढ़	13.25	15.85	17.43	12.62
दिल्ली*	0.00	0.00	0.00	0.24
गोवा	0.00	0.04	0.10	0.10
गुजरात	9.15	12.81	14.52	13.29
हरियाणा	2.84	6.23	9.65	9.65
हिमाचल प्रदेश	0.63	0.66	0.84	0.97
जम्मू और कश्मीर	3.85	4.27	4.29	3.40
झारखंड	4.12	4.24	4.45	3.80
कर्नाटक	21.16	32.13	38.05	25.24
केरल	12.22	10.78	9.10	8.34
लद्दाख	0.05	0.07	0.11	0.10
लक्षद्वीप	0.004	0.005	0.005	0.004
मध्य प्रदेश	11.72	12.71	16.91	16.61
महाराष्ट्र	3.26	3.94	13.04	13.93
मणिपुर	0.39	0.51	0.84	0.87
मेघालय	1.85	1.88	2.30	2.28
मिजोरम	0.23	0.32	0.40	0.29
नागालैंड	0.12	0.29	0.34	0.26
ओडिशा*	0.00	0.00	0.00	11.86
पुदुच्चेरी	0.25	0.39	0.44	0.48
पंजाब	2.99	5.33	6.14	6.48
राजस्थान	16.34	19.78	19.23	16.22
सिक्किम	0.05	0.07	0.11	0.13
तमिलनाडु	17.66	10.58	11.33	10.20
तेलंगाना	5.53	6.18	6.78	6.22
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.21	0.18	0.20	0.18
त्रिपुरा	0.76	0.98	1.25	1.45
उत्तर प्रदेश	8.43	17.01	24.91	24.62
उत्तराखंड	2.61	3.72	3.94	3.61

दिल्ली और ओडिशा को अप्रैल 2025 में एबी पीएम-जेएवाई के तहत शामिल किया गया है।

अनुलग्नक-III

पीएम-जेएवाई के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के केंद्रीय हिस्से के लिए जारी किए गए निधियों का विवरण (08.02.2026 तक)

(करोड़ रु. में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष -2024-25	वित्त वर्ष 2025-26 (08.02.2026 तक)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.00	0.59	1.25	1.28
आंध्र प्रदेश	480.88	451.45	328.65	382.68
अरुणाचल प्रदेश	3.81	3.47	8.9	5.60
असम	209.33	292.06	296.27	294.02
बिहार	145.51	172.5	610.15	725.49
चंडीगढ़	6.41	8.96	9.05	10.15
छत्तीसगढ़	352.94	195.47	336.13	213.43
दिल्ली*	-	-	-	44.21
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2.93	7.79	5.76	5.26
गोवा	0.52	1.2	0	1.67
गुजरात	660.15	267.48	240.58	504.86
हरियाणा	143.5	95.17	121.69	125.55
हिमाचल प्रदेश	64.32	47.91	49.71	49.67
जम्मू और कश्मीर	85.61	42.22	52.18	76.44
झारखंड	0	83.55	341.41	179.18
कर्नाटक	647.73	320.59	513.32	537.73
केरल	151.34	155.49	153.28	153.52

लद्दाख	1.92	1.93	1.96	1.81
लक्षद्वीप	0.15	0.067	0	0.19
मध्य प्रदेश	665.73	790.35	668.69	586.59
महाराष्ट्र	388.03	548.4	398.82	512.54
ओडिशा*				463.41
मणिपुर	38.55	29.17	29.85	32.12
मेघालय	47.31	49.74	40.09	23.22
मिजोरम	26.3	23.35	22.33	21.83
नागालैंड	21.7	28.6	26.97	25.52
पुदुच्चेरी	7.98	5.3	9.6	4.01
पंजाब	111.38	57.96	122.2	135.76
राजस्थान	416.96	606.04	429.94	314.21
सिक्किम	2.3	6.01	4.83	4.95
तमिलनाडु	578.66	681.74	440.57	440.00
तेलंगाना	173.54	135.75	228.02	125.81
त्रिपुरा	45.25	48.81	53.87	46.75
उत्तर प्रदेश	501.77	841.11	1026.1	993.65
उत्तराखंड	65.11	60.21	65.32	50.41

दिल्ली और ओडिशा को अप्रैल 2025 में एबी पीएम-जेएवाई के तहत शामिल किया गया है।